

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

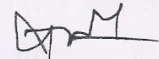
क्रमांक:-प.9(2)शि-5/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक 31-5-13

:: आदेश ::

इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.5.2013 के अनुक्रम में गैर सरकारी शिक्षण संस्था जो दिनांक 31.08.2012 से पूर्व मान्यता प्राप्त कर संचालित है, उनकी क्रमोन्नति पर शिथिलता जारी रहेंगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. आयुक्त, सर्व शिक्षा, अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचित करें।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा।
9. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप -6) विभाग।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ लेखाधिकारी